निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1936 (श0)
(सं0 पटना 363) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2015

सं0 08 / आरोप–01–137 / 2014, सा०प्र०–1572

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

29 जनवरी 2015

श्री राज किशोर सिन्हा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–143 / 08, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के विरूद्ध बी०पी०एल० एवं अंत्योदय परिवार को किरासन तेल की व्यवस्था आवंटन एवं वितरण नहीं किये जाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप के आधार पर श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण माँग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं होने का मंतव्य दिया गया तत्पश्चात् वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय संकल्प–1948, दिनांक 03.03.2010 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिन्हा के दिनांक 31.12.2010 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक–12287, दिनांक 25.07.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक–951, दिनांक 30.09.2014 द्वारा समर्पित किया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित छः आरोप में आरोप सं०–1,2 एवं 4 अप्रमाणित तथा आरोप सं०–3,5 एवं 6 को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक–12045, दिनांक 01.09.2014 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। श्री सिन्हा ने पत्रांक–शून्य दिनांक 30.09.2014 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर एवं जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा बी०पी०एल० एवं अंत्योदय परिवार को किरासन तेल देने के लिए अपने स्तर से कोई समुचित प्रयास नहीं किया। पूर्व से जो व्यवस्था कायम थी उसी पर कार्य करते रहे। अनियमितता का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है परन्तु उनके कर्त्तव्य की लापरवाही स्पष्ट दिखती है। यदि श्री सिन्हा सेवा में रहते तो उन्हें लघु शास्ति दी जा सकती थी परन्तु श्री सिन्हा सेवानिवृत्त हो चुके है एवं उनके विरूद्ध कोई घोर कदाचार का आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः इस मामले को सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में संचिकास्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 363-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in